अभिनिर्णय आदेश

1. वाद संख्या	:	37 / 2014–15
2. ग्राम	:	सलारपुर
3. परगना व तहसील	:	बरौंसा, जयसिंहपुर
4. जनपद	:	सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	:	0.3837हे0
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन	:	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (टांडा–रायबरेली सेक्शन) के 36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 चौड़ा करने / चार लेन बनाने आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र है	:	हां।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम	:	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना प्रकाशन का दिनांक	:	अधिसूचना संख्या–क.अ.2934(अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II–खण्ड 3– उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 19.12.2012
10.धारा 3A की उपधारा (3) के प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन का दिनांक	:	1. दैनिक जागरण, दिनांक 22.01.2013 2. इण्डियन एक्सप्रेस, दिनांक 22.01.2013
11.उक्त अधिनियम की धारा 3D की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	:	अधिसूचना सं0–क.अ.2417 (अ) भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II– खण्ड 3– उपखण्ड (ii) नई दिल्ली, दिनांक 07.08.2013
12.उक्त अधिनियम की धारा 3G की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	:	1. अमर उजाला दिनांक 07.09.2013 2. टाइम्स ऑफ इण्डिया दिनांक 07.09.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि	:	दिनांक 19.02.2015

क्रमशः पेज – 2

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरणः–

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	21,00,000.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु0)	––––––
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	2,87,964.00
	हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु0)	7,500.00
योग (रु0)		**23,95,464.00**
10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि (रु0)		2,39,546.00
सम्पूर्ण योग (रु0)		**26,35,010.00**

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : **रु0 2,63,501.00**

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना) : **रु0 10.33 ×40 =413.20 रू0 या 413 रू0 (रू0 चार सौ तेरह मात्र)**

अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के 36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 (टांडा–रायबरेली सेक्शन) के भू–खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद–सुलतानपुर के ग्राम–सलारपुर, परगना बरौंसा व तहसील जयसिंहपुर में भूमि अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 19.12.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'दैनिक जागरण' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस' में दिनांक 22 जनवरी 2013 को प्रकाशित कराया गया। इस भू–अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम–सलारपुर के भू–स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत उन्तालिस आपत्तियॉ प्राप्त हुई जिनका निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू–अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय के पत्रांक 91/आठ–उप0भू0अ0अ0 दिनांक 28/05/2013 द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में **0.3837**हे0 भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 07.08.2013 को प्रकाशित किया गया है।

क्रमशः पेज – 3

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G के अन्तर्गत प्रतिकर से सम्बन्धित दावों को प्रस्तुत करने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों 'अमर उजाला', एवं 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', में दिनांक 07.09.2013 को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करायी गयी। उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम– सलारपुर, परगना बरौंसा व तहसील जयसिंहपुर, जनपद–सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के (36.000 कि0मी0 से 78.000 कि0मी0 तक) (टांडा–रायबरेली सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत भूमि 0.3837हे0 में से 0.3000हे0 निजी कृषिक भूमि है, एवं 0.0837हे0 ग्राम सभा की भूमि है। निजी कृषिक भूमि का ही प्रतिकर निर्धारण किया जायेगा। जिसके अनुसार क्षेत्रफल 0.3000हे0 भूमि ही अभिनिर्णय घोषित किये जाने योग्य है। अर्जित की जाने वाली भूमि कृषिक है जिसपर खेती की जा रही है। अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर जो भी सम्पत्तियॉ सर्वे के बाद प्राप्त करायी गई हैं, से सम्बन्धित विवरण परियोजना निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो संलग्न पत्रावली है। जिसके अनुसार ग्राम की गाटा संख्या–68, 125, 126, 127, 134 एवं 135 पर निर्माण एवं हैण्डपम्प का होना अंकित किया गया है, निर्माण (स्ट्रक्चर) की सूची संलग्न पत्रावली है, जिसके क्रमांक–19 पर श्री रामराज के नाम टिन सेट, छत मालियती रू0 2,627.00 प्रदर्शित है, किन्तु यह निर्माण किस गाटे पर है, इसका अंकन नहीं है। ग्राम की आपत्ति निस्तारण सूची जो संलग्न पत्रावली है को देखा गया जिसके अनुसार क्रमांक–17 पर अंकित शिकायत के अनुसार निर्माण गाटा संख्या–142 व 143 पर होना अंकित है, परन्तु उक्त दोनों गाटे भू–अर्जन में अधिसूचित नहीं हैं, जिस कारण इनका मूल्यांकन अंकित स्वामी को देय नहीं है। गाटा संख्या–125 के क्रमांक–16 पर श्री जग प्रसाद के नाम का अंकन है, परन्तु भूमि अन्य खातेदारों के नाम है। इनके द्वारा क्रमांक–25 व 26 पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिसका निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया है कि एवार्ड के समय प्रतिकर दिया जायेगा। अतः इसे एवार्ड में शामिल किया जा रहा है। यही स्थिति गाटा संख्या–68 क्रमांक–18 व गाटा संख्या–127 क्रमांक–1 से 7 तक व 9, 10 तथा गाटा संख्या–126 के क्रमांक–11, 12, 13 एवं गाटा संख्या–135 के क्रमांक–21 सं 23 की है, जिनका मूल्यांकन एवार्ड में शामिल किया जा रहा है। इस ग्राम में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों का होना नहीं पाया जाता है। गॉंव सभा भूमि क्षेत्रफल 0.0837हे0 पर अर्जन निकाय द्वारा अलग से पुर्नग्रहण की कार्यवाही करायी जायेगी।

अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 22/01/2013 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों को उपनिबंधक जयसिंहपुर के कार्यालय से श्री मुनीर खॉं अमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली द्वारा संकलित कराया गया है जिसकी जॉच भूमि अध्याप्ति कार्यालय के अमीन श्री सत्यनारायण दुबे द्वारा की गयी

क्रमशः पेज – 4

है। इस निर्धारित अवधि में कुल पच्चीस विक्रय पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अनुसूची–2 में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजारु मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के निष्पादन के आधार पर बाजारु मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। तैयार अनुसूची–2 में उल्लिखित पच्चीस विक्रय पत्रों का अंकन देखा गया जो पत्रावली में संलग्न है। इनमें कमांक 1, 2, 11, 13, 20, 23, 24, एवं 25 पर अंकित विक्रय विलेख व्यवसायिक/आवासीय हैं जिसे प्रतिकर निर्धारण हेतु उचित नहीं पाया जाता है, कमांक–18 पर अंकित विकय विलेख दिनांकित 01.10.2011 विकेती श्रीमती कुसुम पत्नी श्याम बहादुर बहक केतागण शेरजहाँ पत्नी अफसार अहमद व सन्नो वेगम पत्नी अंसार अहमद गाटा संख्या–144 रक्बा–0.0530हे0 का 1/4 भाग मालियती 37,59,398.00 सर्वाधिक मूल्यांकन दर का बैनामा प्रदर्शित है। बैनामें को कृषिक दिखाया गया है। वर्ष 2013 की कलेक्टर सुलतानपुर द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के अनुसार प्रारूप–4 पर राष्ट्रीय मार्ग पर कृषिक भूमि की दर रू0 7,000/– प्रति 0.001 हे0 अर्थात् 70,00,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, मूल्यांकन सूची शामिल पत्रावली है। चूंकि दोनों दरों में कलेक्टर की मूल्यांकन दर सर्वाधिक दर के उपरोक्त बैनामें से काफी अधिक है। अतः कलेक्टर सुलतानपुर की मूल्यांकन सूची के अनुसार कृषकों के व्यापक हित में ग्राम सलारपुर के रेट रू0 70,00,000.00 (रूपये सत्तर लाख) प्रति हे0 की दर से निजी भूमि 0.3000हे0 का प्रतिकर निर्धारित किया जाता है।

निर्धारित दर के आधार पर अर्जित कृषिक भूमि 0.3000हे0 की प्रगणना निम्नवत् हैः–

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	21,00,000.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु0)	–––––
	निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु0)	2,87,964.00
	हैण्डपम्प, कूप व नलकूप के प्रतिकर धनराशि (रु0)	7,500.00
योग (रु0)		**23,95,464.00**
10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु0)		2,39,546.00
सम्पूर्ण योग (रु0)		**26,35,010.00**

अतएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर 0.3000हे0 अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 21,00,000.00 व परिसम्पत्ति का मूल्यांकन रू0 2,95,464.00 कुल रू0 23,95,464.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त धनराशि रु0 2,39,546.00 रूपये देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर

क्रमशः पेज – 5

धनराशि रु0 **26,35,010.00**रूपये (मु0 छब्बीस लाख पैंतीस हजार दश रूपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय– कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु0 **26,35,010.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु0 **2,63,501.00** रूपये अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029–भू राजस्व–800 अन्य प्राप्तियॉ 007–भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं'' में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य–अर्जित भूमि के भू–राजस्व रु0 10.33 का 40 गुना रु0 413.20 या 413रूपये (मु0 चार सौ तेरह रूपये मात्र) अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी सुलतानपुर 0.3000हे0 भूमि की रूपये 10.33 की कमी माल गुजारी की स्वीकृति प्रदान करते हुए अभिनिर्णय रु0 **26,35,010.00**रूपये (मु0 छब्बीस लाख पैंतीस हजार दश रूपये मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू–अर्जन से प्रभावित भू–स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र–11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक 19.02.2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(वी0 के0 दोहरे)
सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी
जनपद–सुलतानपुर